

न्यायालय भूमि सुधार उप समहार्ता, बुण्डू (राँची)

आर० एम० वाद संख्या-12/2017-18

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

विष्णु चरण महतो बनाम विशेश्वर महतो

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित		
विक्रेता का नाम एवं पता-	विष्णु चरण महतो, पे०-स्व० कालीनाथ महतो, सा०-उराँवडीह, डाकघर-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची। जाति-कुरमी, पेशा-खेती।			
क्रेता का नाम एवं पता-	विशेश्वर महतो, पे०-स्व० देवेन्द्र नाथ महतो, सा०-उराँवडीह, डाकघर-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची। जाति-कुरमी, पेशा-खेती।			
विद्वान अधिवक्ता का नाम-	श्री परमेश्वर महतो।			
<p>विक्रेता द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-28/04/2017 को आवेदन देकर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता विशेश्वर महतो, पे०-स्व० देवेन्द्र नाथ महतो, सा०-उराँवडीह, डाकघर-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।</p>				
<p>भूमि का विवरण</p>				
मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बरवाडीह	सोनाहातु/89	20	147	0.34½ ए०
			148	0.12 ए०
				कुल विक्रय रकवा-0.46½ ए०
<p>उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।</p>				
<p>अंचल अधिकारी, राहे के पत्रांक-234(ii), दिनांक-06/04/2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-</p>				
01.	प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम ढडरू तांती वल्द बुघु तांती वगैरह है।			
02.	खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध-पूर्व क्रेता विक्रेता।			
03.	पंजी।। के अनुसार रैयत का नाम विष्णु चरण महतो पिता कालीनाथ महतो है तथा रैयत के पास कुल रकवा 1.97 ए० जमीन है।			
04.	विक्रेता स्वयं जमीन्दारी रैयत है।			
05.	सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टांड तीन, दोन एक किस्म की है।			

8

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
----------------------------	--	-----------------------------------

06. प्रस्तावित जमीन बिक्री में आवेदक का हिस्सेदारी की अनापत्ति प्राप्त नहीं है।
07. जमीन का मालगुजारी वर्ष 2014-15 तक वसूली गयी है।
08. प्रस्तावित जमीन के बिक्री वाले क्षेत्र में आवेदक का पूर्ण हिस्सा है।
09. प्रस्तावित जमीन बिक्री देने के पश्चात आवेदक के पास रकवा 1.50 ½ ए० जमीन शेष रह जाएगा।
10. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को लड़की की शादी करने हेतु विक्रय करना चाहते हैं।
11. क्रेता विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य हैं तथा दोनों एक ही ग्राम एवं एक थाना के निवासी हैं। विक्री की जाने वाली भूमि की जमाबंदी पंजी।। में आवेदक के नाम से दर्ज है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत विक्रेता विष्णु चरण महतो, पे०-स्व० कालीनाथ महतो, सा०-उर्राँवडीह, डाकघर-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को क्रेता विशेश्वर महतो, पे०-स्व० देवेन्द्र नाथ महतो, सा०-उर्राँवडीह, डाकघर-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-28/04/2017. को आम इस्तेहार निर्गत की गई। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता विष्णु चरण महतो, पे०-स्व० कालीनाथ महतो, सा०-उर्राँवडीह, डाकघर-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती को क्रेता विशेश्वर महतो, पे०-स्व० देवेन्द्र नाथ महतो, सा०-उर्राँवडीह, डाकघर-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बरवाडीह	सोनाहातु/89	20	147	0.34½ ए०
			148	0.12 ए०
कुल विक्रय रकवा-				0.46½ ए०

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता ,
बुण्डू राँची।

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बुण्डू राँची।